



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263952
CG-DL-E-18062025-263952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2661]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 2661]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जून, 2025

का.आ. 2726(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALT0341D) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, (सं. 1976 का 6) के अंतर्गत प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, (सं. 1976 का 6) के अंतर्गत प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 63 /2025/फा. सं. 300195/32/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव